बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या– 09 आई० टी० 08/2018 – 22 /कृ०, पटना, दिनांक 07/01/2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)**

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय– **राज्य योजनान्तर्गत National e-Governance Plan Agriculture (NeGP-A) के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रखण्डों में इंटरनेट कनेक्टीविटी तथा तकनीकी मानव बल परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए कुल 11,00,00,000 (ग्यारह करोड़) रूपये की योजना कार्यावन्यन की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 766.7168 लाख (सात करोड़ छियासठ लाख एकहत्तर हजार छः सौ अस्सी) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश स्वीकृत।

महाशय,

राज्य योजना के अन्तर्गत National e-Governance Plan Agriculture (NeGP-A) के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रखण्डों में इंटरनेट कनेक्टीविटी तथा तकनीकी मानव बल परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए कुल 11,00,00,000 (ग्यारह करोड़) रूपये की योजना कार्यावन्यन की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 766.7168 लाख (सात करोड़ छियासठ लाख एकहत्तर हजार छः सौ अस्सी) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के माध्यम से कृषि सूचना प्रसार तंत्र को सक्षम तथा प्रभावकारी बनाना, कृषि की उन्नत तकनीकी जानकारी किसानों को हस्तानान्तरित करना एवं 341 ई–किसान भवनों में इंटरनेट कनेक्टीविटी उपलब्ध कराना है (अनुसूची–1)। साथ ही, राज्य स्तर पर डी०बी०टी० सेल में तकनीकी मानव बल (एक परियोजना प्रबंधक एवं एक डेटा बेस एडमिनीस्ट्रेटर) NICSI से उपलब्ध कराकर परियोजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

3. प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत राशि से 234 प्रखण्डों के ई–किसान भवनों में इंटरनेट कनेक्टीविटी तथा मुख्यालय स्तर पर तकनीकी मानव बल का उपयोग किसानों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु डी०बी०टी० सेल में सेवाएँ ली जायेगी। शेष 107 प्रखण्डों के ई–किसान भवनों में वित्तीय वर्ष 2019–20 में इंटरनेट कनेक्टीविटी का कार्य किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बामेती के पी०एल०ए० खाता संख्या–278 में स्थानन्तरित किया जायेगा। जिसे निदेशक, बामेती द्वारा कृषि निदेशक, बिहार के परामर्शानुसार कार्यान्वयन एजेंसी को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

5. निदेशक, बामेती द्वारा राशि व्यय के पश्चात् विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना/कृषि विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

6. योजनान्तर्गत आच्छादित सामग्रियों का क्रय बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	अब तक अनुसंशित राशि	अवशेष राशि	व्यय हेतु कुल स्वीकृत राशि
बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उप शीर्ष 0106 इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेंनिग सपोट (नई योजना) विपत्र कोड 01–2401001090106 विषय शीर्ष–0106.13.01–कार्यालय व्यय।	3371.70	2766.4282	605.2718	605.07
बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष 0106 इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेंनिग सपोट (नई योजना) विपत्र कोड 01–2401007890106 विषय शीर्ष–0106.13.01–कार्यालय व्यय।	649.97	514.8480	135.1220	116.64
बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना उप शीर्ष 0134 इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेंनिग सपोट (नई योजना) विपत्र कोड 01–2401007960134 विषय शीर्ष–0134,13.01–कार्यालय व्यय।	40.62	32.1780	8.4420	7.29
उप योग	**4062.29**	**3313.4542**	**748.8358**	**729.00**
बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उप शीर्ष 0106 इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेंनिग सपोट (नई योजना) विपत्र कोड 01–2401001090106 विषय शीर्ष–0106.28.02– संविदा सेवाएँ।	8788.79	8027.8300	760.9600	31.30494
बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष 0106 इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेंनिग सपोट (नई योजना) विपत्र कोड 01–2401007890106 विषय शीर्ष–0106.28.02– संविदा सेवाएँ।	1694.23	1355.6800	338.5500	6.03469
बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना उप शीर्ष 0134 इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेंनिग सपोट (नई योजना) विपत्र कोड 01–2401007960134 विषय शीर्ष–0134.28.02– संविदा सेवाएँ।	105.88	21.6500	84.2300	0.37717
उप योग	**10588.90**	**9405.1600**	**1183.7400**	**37.7168**
सकल योग	**14651.19**	**12718.6142**	**1932.5758**	**766.7168**

उपरोक्त विपत्र कोड–01–2401007960134 विषय शीर्ष–0134,13.01–कार्यालय व्यय में 7,29,000.00 (सात लाख उनतीस हजार) रूपये की स्वीकृति दी जाती है, परन्तु उक्त मद में 7,28,950.00 (सात लाख अठाइस हजार नौ सौ पचास) रूपये की उपलब्धता होने के कारण 7,28,950.00 (सात लाख अठाइस हजार नौ सौ पचास) रूपये का आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा एवं तदनुकुल निकासी एवं व्यय की जायेगी।

8. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकतानुसार प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3758 (वि०) दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक 23.11.2018 को प्राप्त है। योजना कार्यान्वयन में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या 09 आई० टी० 08/2018 के पृ०सं० 20/टि० पर दिनांक 03.12.2018 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या – 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. स्वीकृत्तादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सशर्त सहमति संचिका संख्या–09 आई० टी० 08/2018 के पृ०सं० 26/टि० पर दिनांक 20.12.2018 को प्राप्त है, जिसका डायरी सं० 251 दिनांक 20.12.2018 है। उपर्युक्त सशर्त सहमति के आलोक में स्वीकृत्यादेश पर उक्त संचिका के पृष्ठ 29/टि० पर दिनांक 28.12.2018 को प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 22 /कृ०, पटना, दिनांक 07/01/2019

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 22 /कृ०, पटना, दिनांक 07/01/2019

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 22 /कृ०, पटना, दिनांक 07/01/2019

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 22 /कृ०, पटना, दिनांक 07/01/2019

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, पी0पी0एम0, (कृषि विभाग)/प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) सभी/उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना, कृषि विभाग, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/जिला कृषि पदाधिकरी (सभी)/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 22 /कृ०, पटना, दिनांक 07/01/2019

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारियों को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

4-1-19

विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।